भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1592

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

टोल-प्लाज़ा

1592. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि परियोजनाओं की पूरी लागत वसूल किए जाने के बावजूद अनेक टोल-प्लाज़ा अभी भी कार्य कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में टोल-प्लाज़ाओं की संख्या कितनी है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान उक्त राज्यों में कितने नए टोल-प्लाज़ा स्थापित किए गए हैं;

(घ) उक्त राज्यों में विगत पांच वर्षों के दौरान टोल-प्लाज़ाओं पर कितना पथकर वसूल किया गया; और

(ङ) उक्त राज्यों में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित नए टोल-प्लाज़ाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण परियोजना विकास लागत की वसूली से संबंधित नहीं है। प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग के किसी भी खंड के उपयोग के लिए एकत्र किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियम, 2008 के प्रावधान के अनुसार, रियायत समझौते के अनुसार अधिसूचित शुल्क रियायत अवधि के अंत तक लगाया जाएगा और रियायत अवधि समाप्त होने के बाद, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम, 2008 के नियम 4 के उप-नियम (2) के तहत निर्दिष्ट शुल्क के अनुसार केंद्र सरकार या निष्पादन प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास के ऐसे खंड के हस्तांतरण की तारीख को शुल्क एकत्र किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, जिसे वार्षिक रूप से संशोधित किया जाएगा।

सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित परियोजना के संबंध में, राष्ट्रीय राजमार्ग, पुल, सुरंग या बाईपास के ऐसे खंड के लिए देय शुल्क , जैसा भी मामला हो, निरंतर एकत्रित किया जाता रहेगा, जिसे इन नियमों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधित किया जाएगा।

बीओटी परियोजनाओं के मामले में, रियायत अवधि की समाप्ति के बाद, टोल प्लाजा केन्द्र सरकार को सौंप दिया जाता है और उसके बाद सरकार द्वारा अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क एकत्र किया जाता है।

(ख) 31.01.2025 तक आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजा की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	प्रचालन प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा की संख्या
तमिलनाडु	70
कर्नाटक	58
आंध्र प्रदेश	72

(ग) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में पिछले तीन वर्षों में शुरू किए गए नए शुल्क प्लाजा की संख्या निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	प्रयोक्ता शुल्क प्लाज़ा की संख्या
तमिलनाडु	21
कर्नाटक	14
आंध्र प्रदेश	20

(घ) पिछले पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित शुल्क प्लाजाओं पर एकत्रित उपयोगकर्ता शुल्क निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	कुल प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण (करोड़ रुपए में)				
	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
आंध्र प्रदेश	1,830.84	1,979.08	2,434.42	3,273.86	3,502.27
तमिलनाडु	2,610.43	2,332.79	2,695.78	3,817.49	4,221.50
कर्नाटक	1,881.99	1,866.39	2,351.26	3,516.79	4,086.18

(ड.) प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा की स्थापना और प्रयोक्ता शुल्क संग्रह की शुरुआत परियोजनाओं के पूरा होने और भारत के राजपत्र में शुल्क अधिसूचना के प्रकाशन पर निर्भर करती है। परियोजना के पूरा होने पर, स्थानीय समाचार पत्रों में लागू दरों को अधिसूचित करने के बाद प्रयोक्ता शुल्क संग्रह शुरू किया जाएगा।

*****